जनता की जमाराशियाँ न स्वीकारने/धारण करने वाली एवं 500 करोड़ रुपए एवं अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा महत्त्वपूर्ण वित्तीय मानकों पर तिमाही विवरणी

नवंबर 2004 में यह निर्णय लिया गया था कि जनता की जमाराशियाँ न स्वीकारने/धारण करने वाली एवं 31 मार्च 2004 को 500 करोड़ रुपए एवं अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में रिपोर्टिंग प्रणाली प्रारंभ की जाए। तदनुसार सभी ऐसी कंपनियों से अपेक्षा की गई कि वे विनिर्दिष्ट प्रोफार्मे में तिमाही विवरणी प्रस्तुत करें।

[13 नवंबर 2004 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 45/02.02/2004-05 में ब्योरे दिए गए हैं]

2. सितंबर 2005 में यह महसूस किया गया कि परिवर्तनीय वित्तीय प्रणाली में एक तिमाही का अंतराल त्वरित आकलन में सहायक नहीं है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इस अवधि को बदलकर मासिक कर दिया जाए और 100 करोड़ रुपए एवं अधिक की परिसंपत्तियों वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इस विवरणी को प्रेषित करें।

रिपोर्टिंग के समय एवं रिपोर्टिंग के तरीके के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित किए गए:

(a) विवरणी संबंधित माह की समाप्ति के अनुवर्ती माह के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए। तथापि, सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित विवरणी अंतिम (फाइनल) लेखों को अंतिम रूप देने से 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

(b) अब तक कंपनियाँ अपने स्वरूप यथा- ऋण, निवेश, किराया खरीद, पट्टादायी, आदि का उल्लेख नहीं कर रही थीं। अब से कंपनियों से अपेक्षित है कि वे अपनी श्रेणी/अपने स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख विवरणी के कंपनी प्रोफाइल शीर्ष की मद सं. 7 में अनिवार्य रूप से करेंगी।

(c) कंपनी द्वारा विवरणी हमारे उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी जिसके अधिकारक्षेत्र में कंपनी अवस्थित है। विवरणी की एक प्रति गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय को ई-मेल से प्रस्तुत की जाएगी और तुरंत उसकी हार्ड कापी भी भेजी जाएगी। गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय का ई-मेल पता निम्नवत है: helpdnbs.@rbi.org.in

विवरणी के फार्मेट को भी संशोधित किया गया था एवं उसकी एक प्रति परिपत्र के साथ अनुलग्न की गई थी। विवरणी को प्रस्तुत न करने को गंभीरता से लिया जाएगा एवं अनुपालन न करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

[6 सितंबर 2005 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 57/02.05.15/2004-05 में ब्योरे दिए गए हैं]

3. जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली एवं 100 करोड़ रूपए एवं अधिक की परिसंपत्तियों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से मंगायी जाने वाली सूचना में कतिपय अतिरिक्त मानक जोड़े गए थे। विवरणी के फार्मेट में प्रस्तावित परिवर्तन हैं- क) लाभ-हानि खाते से संबंधित अपेक्षा, ख) परिसंपत्ति वर्गीरण, ग) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का कंपनी पर जोखिम, घ) भाग-VIII: पूंजी बाजार जोखिम, ङ) निधियों के विदेशी श्रोत।

यह भी निर्णय लिया गया था कि संशोधित रिपोर्टिंग व्यवस्था दो माह के बाद प्रभावी होगी। तदनुसार, डाटा प्रस्तुतीकरण माह जून 2006 तक पुराने फार्मेट मे जारी रहना था एवं संशोधित फार्मेट में पहली विवरणी माह जुलाई 2006 के लिए प्रस्तुत की जानी थी।

[5 अप्रैल 2006 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.(कंनिप्र I) कंपरि. सं. 67/21.05.15/2005-06 एवं 2 जून 2006 के गैबैंपवि.(कंनिप्र I) कंपरि. सं. 69/21.05.15/2005-06 में ब्योरे दिए गए हैं]

संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय विनियमन तथा बैंकों से उनका संबंध

4. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) वित्तीय सेवाओं की पहुँच को विस्तृत करने तथा वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और विविधता बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। बैंकिंग प्रणाली के पूरक के रूप में उनकी पहचान बढ़ रही है। ये कंपनियाँ वित्तीय संकट के समय आघात सहने और जोखिम बाँटने की क्षमता रखती हैं। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गतिविधियों में भिन्न-भिन्न स्तरों के विनियमन लागू होने तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए भी अलग-अलग विनियमन होने से विनियमन की असमान व्याप्ति के कारण कुछ मुद्दे उठे हैं। अतएव, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में समान अवसर, विनियामक समरूपता और विनियामक अंतरपणन (आरबिट्राज) जैसे मुद्दों की जाँच करने के लिए एक आंतरिक समूह गठित किया था। आंतरिक समूह की सिफारिशों के आधार पर तथा उस पर प्राप्त हुई प्रतिसूचना को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से (सिस्टमिकली) महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समग्र वित्तीय विनियमन तथा बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध से जुड़े मुद्दों के लिए एक संशोधित ढाँचा स्थापित किया जाए। तदनुसार, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से प्रतिसूचना प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित दिशानिर्देश का प्रारूप 3 नवंबर 2006 के पत्र बैंपविवि. सं. एफएसडी. 556/ 24.01.02/2006-07 द्वारा जारी किया गया था। प्राप्त हुई प्रतिसूचना के आधार पर प्रारूप दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन किए गए तथा इस संबंध में और सुझावों के लिए 30 नवंबर 2006 के पत्र बैंपविवि. सं.एफएसडी. 5046/ 24.01.028/2006-07 द्वारा द्वितीय प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए गए। प्रतिसूचना प्राप्त होने के बाद अब अंतिम दिशानिर्देश कार्यान्वयन करने के लिए जारी किए जा रहे हैं।

विनियामक ढांचे में संशोधन

5. बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यों के विभिन्न पहलुओं के लिए भिन्न-भिन्न विनियामक अपेक्षाओं से उठने वाले प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में तथा प्रस्तावित संशोधन के लिए व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक ढांचे में निम्नलिखित संशोधन किए जा रहे हैं:-

ए. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)-एनडी-एसआई के लिए विनियामक ढांचा

(i) एनबीएफसी-एनडी-एसआई का निर्धारण

सभी एनबीएफसी-एनडी जिनकी परिसंपत्तियाँ अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 100 करोड़ रूपए या अधिक हैं, उन्हें संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी माना जाएगा।

(ii) एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात

एनबीएफसी-एनडी-एसआई जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में न्यूनतम पूंजी (CRAR) का 10% अनुपात बनाए रखेंगी। एनबीएफसी-डी के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी का मौजूदा निर्दिष्ट 12% या 15% का अनुपात, जो भी लागू हो, बना रहेगा।

(iii) एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए एकल/ग्रुप जोखिम

एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए जोखिम मानदण्ड निर्धारित किए गए थे।

इसके अलावा, एनबीएफसी-एनडी-एसआई को सूचित किया गया था कि वे एकल/ग्रुप के संबंध में जोखिम संबंधी नीति बनाएं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जनता की निधियों तक पहुंच न रखने वाली एनबीएफसी-एनडी-एसआई जोखिम सीमा की भावना के अनुरूप उचित छूट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन कर सकती हैं।

बी. परिसंपत्ति वित्त कंपनियों के लिए अतिरिक्त एकल जोखिम मानदण्ड

(iv) 6 दिसंबर 2006 के परिपत्र सं. गैबैंपवि. नीति प्रभा. कंपरिप. सं. 85/03.02.089/2006-07 के अनुसार उत्पादक/आर्थिक गतिविधियों के लिए स्थावर/भौतिक परिसंपत्तियों के वित्तपोषण में लगी कंपनियों को उक्त परिपत्र में निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार परिसंपत्ति वित्त कंपनी माना जाएगा।

एनबीएफसी-डी तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए किसी एक पार्टी तथा पार्टियों के एक ग्रुप के लिए निर्दिष्ट जोखिम मानदण्डों में दी गई सीमा को परिसंपत्ति वित्त कंपनियाँ अपवादात्मक परिस्थितियों में अपनी स्वाधिकृत निधियों के और 5% तक किसी एक पार्टी तथा पार्टियों के एक ग्रुप के लिए अपने निदेशक बोर्ड की अनुमति से पार कर सकती हैं।

सी. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गतिविधियों का स्वत: अनुमोदित मार्ग से विस्तार

v) स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत स्थापित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को केवल उन्हीं 19 गतिविधियों को करने की अनुमति होगी जो स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत अनुमत हैं। उनसे भिन्न किसी अन्य गतिविधि को करने से पहले उहें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का अनुमोदन लेने की जरूरत होगी। इसी प्रकार यदि किसी कंपनी को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अंतर्गत (जैसे साफ्टवेयर) किसी क्षेत्र विशेष में प्रवेश की अनुमति मिली है और बाद में वह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में काम करना चाहती है तो उसे लागू न्यूनतम पूंजीकरण मानदण्डों और अन्य विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा।

प्रभावी तारीख और संक्रांति

6. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ नए संशोधित विनियामक ढांचे के कतिपय तत्वों का अनुपालन करने में संप्रति समर्थ न हों, यह निर्णय लिया गया है कि इनके अनुपालन के लिए मार्च 2007 तक की अवधि संक्रांति काल के

रूप में दी जाए। तदनुसार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ संशोधित ढांचे के सभी तत्वों/बातों का अनुपालन 1 अप्रैल 2007 से सुनिश्चित करें। यदि किसी एनबीएफसी-एनडी-एसआई को अनुपालन के लिए मुहलत (अधिक समय) की जरूरत हो तो वह 31 जनवरी 2007 को कार्यालय कारोबार की समाप्ति से पूर्व गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को उक्त अवधि में अनुपालन न कर पाने के कारणों का उल्लेख करते हुए और जिस अवधि में सभी बातों का अनुपालन कर सकेगी का ब्योरा देते हुए आवेदन करे। इससे रिज़र्व बैंक उनके अनुरोध पर मार्च 2007 से पूर्व रुख निश्चित कर सकेगा।

कतिपय वर्गों के लिए लागू होना

7. इस परिपत्र में अंतर्विष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत संबंधित पैराग्राफों में किए गए विनिर्देशानुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होंगे, केवल निम्नलिखित वर्गों को छोड़कर-

(i) अवशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आरएनबीसी) तथा प्राथमिक व्यापारी भिन्न विनियमन के अंतर्गत आते हैं। रिज़र्व बैंक इस परिपत्र में अंतर्विष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के मद्देनजर इन संस्थाओं पर लागू मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों की समीक्षा के लिए एक अंत:समूह का गठन करेगा और अनुपूरक मार्गदर्शी सिद्धांतों की आवश्यकता की जांच करेगा जिन्हें अलग से जारी किया जाएगा। तब तक ये संस्थाएं मौजूदा विनियमों से नियंत्रित होती रहेंगी।

(ii) कंपनी अधिनियम की धारा 617 में परिभाषित सरकार के स्वामित्ववाली कंपनियाँ जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं, वे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व ब़ैंक) निदेश, 1998 के कतिपय उपबंधों से संप्रति छूट प्राप्त हैं। यह प्रस्ताव है कि जमा स्वीकार करनेवाली एवं प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपिनयों को उक्त निदेश के अंतर्गत लाया जाए जो मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा जिसमें इस परिपत्र में शामिल मार्गदर्शी सिद्धांत शामिल हैं। हालांकि, किस तारीख से वे इस विनियामक ढांचे का पूरी तरह अनुपालन करेंगी, इसका निर्णय बाद में होगा। इन कंपनियों से अपेक्षित है कि वे सरकार से परामर्श करके गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अमल में आने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों के विभिन्न तत्वों/मानकों के अनुपालन के लिए योजना बनाएं और उसे रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को 31 मार्च 2007 तक प्रस्तुत करें।
(12 दिसंबर 2006 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं.86/03.02.089 /2006-07 में ब्योरे दिए गए हैं)

जमाखोरी के लिए बैंक वित्त का दुरुपयोग - स्थिति एवं कार्रवाई

8. यह चिंता व्यक्त की गई है कि कुछ ऐसी कंपनियाँ / संस्थाएं, जिन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से वित्तीय सहायता का श्रोत उपलब्ध है, खाद्यान्नों की जमाखोरी में लगी हों। इसलिए एनबीएफसी -एनडी-एसआई (100 करोड़ रुपए या अधिक की परिसंपत्तियों वाली जमा न लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) को सूचित किया गया था कि वे खाद्यान्नों की दलाली / क्रय में संलग्न बड़े उधारकर्ताओं के प्रति अपने वित्तीय जोखिमों की जाँच / संवीक्षा करें ।

उल्लिखित श्रेणी की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ बड़े जोखिम वाले खातों की त्वरित जाँच करें एवं स्वयं संतुष्ट हो लें कि जमाखोरी के इरादे से खाद्यान्नों की दलाली /क्रय के लिए निधियों का अपवर्तन न हुआ हो ।

एनबीएफसी-एनडी-एसआई को इस मुद्दे पर संवेदित किया गया था और उनसे इसलिए अनुरोध किया गया था कि वे इस संबंध में विस्तृत (कंप्रेहेंसिव) रिपोर्ट 10 मार्च 2007 तक उपलब्ध कराएं ।

(23 फरवरी 2007 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)/कंपरि. सं.90/03.10.001/2006-07 के अनुसार)

संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/ न धारण करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के लिए पर्यवेक्षी ढांचा

9. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकरने वाली एनबीएफसी हेतु विनियामक ढांचे के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे पूंजीगत निधियों, जोखिम-परिसंपत्ति अनुपात, आदि से संबंधित 31 मार्च को

समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए एनबीएस-7 में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की प्रणाली लागू करें। ऐसी पहली विवरणी 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तुत की जाए। प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अनुवर्ती 3 माह के भीतर इस विवरणी को प्रस्तुत किया जाए।

10. ऐसी विवरणियाँ इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत की जाएं और इसके लिए एनबीएफसी-एनडी-एसआई इस विभाग के केंद्रीय कार्यालय के सूचना प्रोद्योगिकी प्रभाग से "यूजर आईडी" और "पासवर्ड" के लिए संपर्क करें ताकि वे वेब से विवरणी प्रस्तुत कर सकें। अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित विवरणी की एक हार्ड कापी गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाए जिसके अधिकार-क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आाता है।

(27 अप्रैल 2007 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं.93/03.05.002/2006-07 में ब्योरे दिए गए हैं)

संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता, तरलता (liquidity) और प्रकटीकरण मानदण्डों के संबंध में दिशानिर्देश (मार्गदर्शी सिद्धांत)

11. जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपनी गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए विवेकपूर्ण विनियमन के अधीन हैं। तथापि, जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ न्यूनतम विनियमन के अधीन हैं। वित्तीय क्षेत्र के विकास एवं एकीकरण के आलोक में यह महसूस किया गया कि वित्तीय सेवाएं देने वाली संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कंपनियों को समुचित विनियामक ढांचे के अंतर्गत लाया जाए ताकि संपूर्ण प्रणालीगत जोखिम को नियंत्रित किया जा सके। अस्तु प्रथम कदम के रूप 12 दिसंबर 2006 के परिपत्र सं. गैबैंपवि. नीति

प्रभा. कंपरि. सं. 86/03.02.089/2006-07 में यह सूचित किया गया था कि, अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार, जिन जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की परिसंपत्तियाँ 100 करोड़ रुपए या अधिक हैं, उन्हें संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ माना जाएगा और ऐसी संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण, जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता तथा जोखिम मानदण्डों को सम्मिलित करके विशिष्ट विनियामक ढांचा 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया था।

12. इस विनियामक ढांचे के संबंध में अप्रैल 2007 से हुए अनुभव की समीक्षा करने पर यह महसूस किया गया है कि पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं में वृद्धि की जाए और तरलता प्रबंधन तथा रिपोर्टिंग के साथ-साथ प्रकटीकरण मानदण्डों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत लागू किए जाएं। तदनुसार, संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण, जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के उल्लिखित पहलुओं से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रारूप जनता से अभिमत प्राप्त करने के लिए बैंक की वेबसाइट पर 2 जून 2008 को रखा गया था। तत्संबंध में जनता/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/ संघों (असोसिएसनों)/बैंकों से प्राप्त अभिमतों पर विचार करके मार्गदशी सिद्धांतों को उचित रूप में संशोधित किया गया है।

<u>पूंजी पर्याप्तता</u>

13. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे 1 अप्रैल 2007 से जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में न्यूनतम 10% का पूंजी अनुपात बनाए रखें। तथापि, हाल की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के उच्च जोखिमवाली उधार राशियों से जुड़े जोखिमों तथा दीर्घ अवधि पर उत्पादन कर सकने वाली परिसंपत्तियों के निधीयन हेतु अल्पावधि निधियों पर निर्भरता के मद्देनज़र इन कंपनियों की गतिविधियों के जुड़ाव से संपूर्ण प्रणालीगत जोखिमों के बढ़ने की चिंता उत्पन्न हो गई है। एतदर्थ किसी आघात को बरदाश्त करने के लिए कुशन बढ़ाने हेतु पर्याप्त पूंजी प्रभार उपलब्ध कराने के महत्त्व के मद्देनज़र

यह निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लागू मौजूदा जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में न्यूनतम 10% के पूंजी अनुपात (CRAR) को बढ़ाया जाए। अस्तु इन्हें सूचित किया जाता है कि वे जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में 31 मार्च 2009 तक 12% का पूंजी अनुपात (CRAR) एवं 31 मार्च 2010 तक 15% का पूंजी अनुपात (CRAR) प्राप्त करें।

14. वार्षिक नीति वक्तब्य 2008-09 में की गई घोषणा के अनुसार संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात रखने की समीक्षा की गई थी और 1 अगस्त 2008 के हमारे परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.125/03.05.002/2008-09 में उसे 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 मार्च 2009 से 12 प्रतिशत एवं पुन: 31 मार्च 2010 से 15 प्रतिशत विनिर्दिष्ट किया गया था। मौजूदा आर्थिक वतावरण में ईक्विटी पूंजी जुटाने में होने वाली कठिनाईयों के मद्देनज़र, यह निर्णय लिया गया है कि जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात रखने संबंधी 12 प्रतिशतएवं 15 प्रतिशत के निर्धारण की अवधि को बढ़ाकर क्रमश: 31 मार्च 2010 एवं 31 मार्च 2011 कर दिया जाए।

(24 अप्रैल 2009 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं.138/03.02.002/2008-09 द्वारा संशोधित)

<u>तुलन पत्र में प्रकटीकरण</u>

15. उल्लिखित चिंता के मद्देनज़र, संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों संबंधी प्रकटीकरण मानदण्डों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न

स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष से अपने तुलन पत्र में निम्नवत अतिरिक्त प्रकटीकरण करें:

जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी - अनुपात (CRAR)

रियल इस्टेट सेक्टर(स्थावर संपदा क्षेत्र) के संबंध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों जोखिम; तथा

परिसंपत्तियों एवं देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

इस अतिरिक्त सूचना के प्रकटीकरण के लिए फार्मेट 1 अगस्त 2008 के कंपरि. सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 125/03.05.002/2008-2009 में दिया गया है।

<u>परिसंपत्ति देयता प्रबंधन(ALM) -रिपोर्टिंग</u>

16. परिसंपत्ति-देयता संबंधी असंतुलन एवं ब्याज दर जोखिमों से संबंधित चिंता के निदान के लिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विभिन्न संविभागों के जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए समग्र प्रणाली के भाग के रूप में उनके लिए एक परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली 27 जून 2001 के कंपनी परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा). कंपरि. सं. 15/02.01/2000-2001 के द्वारा लागू की गई थी। हालांकि, उसमें यह कहा गया था कि संदर्भित मार्गदर्शी सिद्धांत सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होंगे चाहे वे जमाराशियाँ स्वीकार करती हों या स्वीकार न करती हों। प्रारंभ में, 31 मार्च 2001 के लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार जिन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की परिसंपत्तियाँ 100 करोड़ रुपए (भले ही कंपनी जमाराशियाँ स्वीकार करती हों या न करती हों) या जनता की जमाराशियाँ 20 करोड़ रुपए एवं अधिक होने (भले ही उनकी परिसंपत्तियों का आकार कुछ भी क्यों न हो) के मानदण्डों को पूरा करती हों, उन्हें यह परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू करनी थी। कंपनियों को सूचित किया गया था कि मार्गदर्शी सिद्धांत 31 मार्च 2002 से पूरी तरह लागू /परिचालनीय

हो जाएंगे। जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए इस संबंध में छमाही रिपोर्टिंग प्रणाली भी लागू की गई थी।

17. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के उच्च जोखिमवाले निवेशों, तथा गतिविधियों के लिए अल्पावधि स्रोतों के प्रयोग के परिणामस्वरूप परिसंपत्ति-देयता असंतुलन की संभावना के मद्देनज़र अब यह निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण, जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अनुबंधानुसार रिपोर्टिंग की प्रणाली प्रारंभ की जाए। विवरणी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. अल्पावधि क्षिप्र(डायनमिक) तरलता विवरण

ii. ढांचागत तरलता विवरण तथा

iii. ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण।

उल्लिखित वर्ग की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपनी मौजूदा प्रबंधन सूचना प्रणाली को दुरूस्त कर रिपोर्टिंग प्रकटीकरण की अपेक्षा को पूरा कर सकें एतदर्थ ऐसा समेकन 30 सितंबर 2008 को समाप्त अवधि से प्रारंभ किया जाएगा। अल्पावधि क्षिप्र तरलता विवरण (एनबीएस-एएलएम 1) की आवधिकता मासिक होगी और ढांचागत तरलता विवरण (एनबीएस-एएलएम 2) की आवधिकता अर्द्ध वार्षिक होगी। मासिक विवरण संबंधित माह की समाप्ति के अनुवर्ती 10 दिन के भीतर एवं अर्द्ध वार्षिक विवरण संबंधित अर्द्ध वर्ष की समाप्ति के अनुवर्ती 20 दिन के भीतर हमारे उस क्षेत्रीय कार्यालय कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएं जिनके अधिकार क्षेत्र में कंपनी पंजीकृत हो। तथापि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपनी प्रणाली को दुरूस्त कर सकें इसे ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर 2008 के लिए प्रस्तुत की जानेवाली प्रथम विवरणी जनवरी 2009 के पहले सप्ताह में प्रस्तुत की जाएगी।

ब्याज दर संवेदनशीलता संबंधी विवरण (एनबीएस-एएलएम 3) के समेकन की आवधिकता अर्द्ध वार्षिक होगी। पहले कदम के रूप में, उसे अर्द्ध वर्ष के आधार पर तैयार करके गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत करेंगी। इस विवरण को प्रस्तुत करने के लिए बैंक द्वारा बाद में घोषित की जाने वाली तारीख से उसे (बैंक को) प्रस्तुत किया जाएगा।

(1 अगस्त 2008 के कंपरि. सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 125/03.05.002/2008-2009 में ब्योरे दिए गए हैं)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनार्थ पूंजी बढ़ाने के विकल्पों में बढ़ोत्तरी

18. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-NDSI) द्वारा उनके कारोबार बढ़ाने एवं विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि वे परिपत्र में अंतर्विष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप, बेमियादी ऋण लिखत (PDI) जारी करके अपनी पूंजीगत निधियों में बढ़ोत्तरी कर सकती हैं। ऐसे बेमियादी ऋण लिखत (PDI), कंपनी के पिछले लेखा वर्ष के 31 मार्च को उसकी कुल टियर I पूंजी के 15% की सीमा तक टियर I पूंजी में शामिल किए जाने के योग्य/पात्र होंगे।

(29 अक्तूबर 2008 के कंपरि. सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 131/03.05.002/2008-2009 में ब्योरे दिए गए हैं)

विदेशी मुद्रा में अल्पावधि उधार लेना -संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ(NBFC-ND-SI)

19. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) को अल्पवधि उपाय के रूप में, अनुमोदन मार्ग से

विदेशी मुद्रा में अल्पावधि उधार लेने की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक की 31 अक्तूबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी:2008-2009/602 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार दी गई है। इस संबंध में विदेशी मुद्रा में अल्पावधि उधार ले चुकी संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) को सूचित किया जाता है कि वे संलग्न फार्मेट में संबंधित माह की समाप्ति के 10 दिनों के भीतर मासिक विवरणी प्रस्तुत करें। इस प्रकार की पहली विवरणी दिसंबर 2008 माह के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय को हर हाल में 10 जनवरी 2009 तक पहुंच जानी चाहिए।

(अन्य ब्योरों के लिए 23 दिसंबर 2008 का परिपत्र गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं. 132/22.10.72/2008-09 देखें)

<u>गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रेटिंग</u>

20. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कमर्शियल पेपर, डिबेंचर आदि जैसे वित्तीय उत्पाद भी जारी करती हैं जिनकी रेटिंग रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित की जाती है। ऐसे उत्पादों को दी गई रेटिंग रेटिंग एजेंसियों द्वारा बताए गए विभिन्न कारणों से बदल जाती है। अस्तु यह निर्णय लिया गया है कि (जमाराशियाँ स्वीकारने वाली या न स्वीकारने वाली) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ 100 करोड़ रूपए या अधिक हैं अपने ऐसे वित्तीय उत्पादों की रेटिंग के न्यूनीकरण/उच्चीकरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में ऐसी जानकारी रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को देंगी जिनके अधिकार क्षेत्र में उनका पंजीकृत कार्यालय कार्यरत है।

(4 फरवरी 2009 का परिपत्र गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं. 134/03.10.001/2008-09 देखें)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की नकदी (liquidity) की

कमी संबंधी अड़चनों को दूर करने के लिए फ्रेमवर्क

संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली पात्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) के परिचालनों में आने वाली अस्थायी कमी से उन्हें राहत दिलाने के लिए विशेष प्रयोजन संस्था के मार्फत (SPVसे) नकदी सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने एक योजना को मंजूरी दी है। एनबीएफसी-एनडी-एसआई :

- (i) का सीआरएआर मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हो
- (ii) ने विगत दो वर्षों में निवल लाभ अर्जित किया हो
- (iii) की अंतिम तुलनपत्र की तारीख को निवल अनर्जित परिसंपत्तियाँ (Net NPA) 5 प्रतिशत से अधिक न हों।

इस प्रयोजन हेतु आईडीबीआई एसएएएसएफ ट्रस्ट को विशेष प्रयोजन संस्था के मार्फत (SPV) यह कार्य करने के लिए अधिसूचित किया गया है। विशेष प्रयोजन संस्था (SPV) संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली पात्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) की नकदी की अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए उनसे अल्पावधि पेपर खरीदेगी।

(18 फरवरी 2009 के कंपरि. सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 136/03.10.001/2008-2009 में ब्योरे दिए गए हैं)

संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) का दर्जा देने संबंधी मानक

22. जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की परिसंपत्तियाँ तुलनपत्र की तारीख को 100 करोड़ रुपए से कम हो सकती हैं किन्तु बाद में कारोबार विस्तार योजना/प्लान सहित अनेकानेक कारणों से अगले तुलनपत्र की तारीख से पूर्व उनमें वृद्धि हो सकती है। इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि एक बार जब किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की परिसंपत्तियाँ 100 करोड़ रुपए या अधिक हो जाएंगी वैसे ही वह कंपनी यथोक्त संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में लागू विनियामक अपेक्षाओं के दायरे में आ जाएगी, भले ही अंतिम तुलनपत्र की तारीख को उसकी ऐसी परिसपत्तियाँ कम ही क्यों न रही हों। अस्तु यह सूचित किया जाता है कि जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली ऐसी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जैसे ही 100 करोड़ रुपए या अधिक परिसंपत्तियों के स्तर को प्राप्त कर लेती हैं वैसे ही, ऐसा स्तर प्राप्त करने की तारीख पर विचार किए बिना, वे संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में लागू विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी।

यह भी देखने में आया है कि गतिशील माहौल में अस्थायी उतार-चढ़ाव के कारण, न कि वास्तव में, किसी माह विशेष के दौरान किसी कंपनी की परिसंपत्तियाँ 100 करोड़ से कम हो जाएं। ऐसे मामले में यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी महत्त्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटरों पर मासिक विवरणी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करती रहेगी तथा संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में लागू मौजूदा निदेशों का अनुपालन करती रहेगी जब तक कि उसका आगामी लेखापरीक्षित तुलन रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत न हो जाए एवं इस संबंध में रिज़र्व बैंक से विशिष्ट छूट के लिए अनुमति न मिल जाए।

(4 जून 2009 के कंपरि. सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 141/03.10.001/2008-2009 में ब्योरे दिए गए हैं)

परिशिष्ट

क्र.	परिपत्र सं.	दिनांक
1.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 45/02.02/2004-2005	13 नवंबर 2004
2.	गैबैंपवि.(पंनिप्र.) कंपरि. सं. 57/02.05.15/2005-06	6 सितंबर 2005
3.	गैबैंपवि.(कंनिप्र I) कंपरि. सं. 67/21.05.15/2005-06	5 अप्रैल 2006
4.	गैबैंपवि.(कंनिप्र I) कंपरि. सं. 69/21.05.15/2005-06	2 जून 2006
5.	गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं.86/03.02.089/2006-07	12 दिसंबर 2006
6.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)/कंपरि. सं.90/03.10.001/2006-07	23 फरवरी 2007
7.	गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं.93/03.05.002/2006-07	27 अप्रैल 2007
8.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 125/03.05.002/2008-2009	1 अगस्त 2008
9.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 131/03.05.002/2008-2009	29 अक्तूबर 2008
10.	गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं. 132/22.10.72/2008-09	23 दिसंबर 2008
11.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं. 134/03.10.001/2008-09	4 फरवरी 2009
12.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 136/03.10.001/2008-2009	18 फरवरी 2009
13.	गैबैंपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 138/03.02.002/2008-2009	24 अप्रैल 2009
14.	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 141/03.10.001/2008-2009	4 जून 2009